71

COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निग 3503 – I – 16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सागर कैम्प

श्रीराम दुबे पिता श्री दयाराम दुबे,
नि. उदयपुर तह. अजयगढ़ जिला पन्ना
..........आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना (म०प्र०) के प्र०क्र० 02/अ–67/2013–2014 में पारित आदेश दि. 28–06–2016 से परिवेदित होकर माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन 13001/2016 आदेश दिनांक 08.08.16 के परिपालन में यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध बिना किसी विधिक आधार के धारा 247(7) म.प्र.भू.रा.सं. के तहत प्रकरण दर्ज कर विवादित कार्यवाही प्रस्तावित की है जिसमें आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर दिए बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन प्रस्तुत किए जाने पर निर्देशानुसार यह निगरानी सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो श्रवण योग्य है।

2. यह कि आवेदक द्वारा विधिवत रूप से अपना जबाव प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया था कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध परिवहन नहीं किया है इसके उपरांत भी दण्ड अधिरोपित किया जाकर आवेदक को अवैद्य भण्डारण का दोषी मान्य करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.) श्रीमती ऊर्मिल श्रीवास्तव (एड.) इतवारी, जिला सागर (म.प्र.) मो. 9424404113, 07582-244808

71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 3503-एक/2016 — जिला- पन्ना

<u>श्रीराम दुबे विरूद्ध शासन</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-पन्ना के प्र.क्र. 02/अ-67/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-05-16 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण	

याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 2.1.19

सदस्य